



## कार्यालय आदेश

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना, ज्ञापांक 1833 दिनांक 11.03.2020, के आलोक में Coronavirus के प्रकोप को दृष्टिपथ में रखते हुए एहतियाती उपाय के तहत निदेशानुसार सूचित करना है कि बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं अन्तर्गत सभी अंगीभूत, सम्बद्ध एवं बी०एड० महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों (संविदा/घंटी आधारित कर्मी सहित) के बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिती दर्ज किए जाने संबंधी निर्देश को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। यह आदेश निर्गत होने की तिथि से सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

इस विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत, सम्बद्ध एवं बी० एड० महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्यों से अनुरोध है कि महाविद्यालय में साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखेंगे एवं हाथ की सफाई हेतु सैनीटाइजर का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने पर निषेध संबंधी आदेश जारी कर अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई से संसूचित करेंगे।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

कुलपति के आदेशानुसार  
ह०/  
कुलसचिव

ज्ञापांक : बि०बि०म०को०वि०/आर/321 /2020, धनबाद दिनांक: 13.03.2020

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड सरकार, राँची।
2. सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, बि०बि०म०को०वि०, धनबाद।
3. सभी प्राचार्या/प्राचार्य अंगीभूत, सम्बद्ध एवं बी० एड० महाविद्यालय।
4. सभी पदाधिकारी, बि०बि०म०को०वि०, धनबाद।
5. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को कुलपति/प्रतिकुलपति/ कुलसचिव के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

*13-03-2020*

कर्मल (डॉ०) मिथिलेश कुमार सिंह (से० नि०)  
कुलसचिव